आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

20|08|21

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 147/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

भूदाता गनौरी मियॉ, पिता–मोहम्मद मियॉ, ग्राम–मखमीलपुर, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
52	322	01 कठा	उतर–सोवरात मियॉ दक्षिण–कुर्वान मियॉ पूरब–देववली मियॉ पश्चिम–नीज

मौजा– मखलीलपुर, थाना नं०–21, थाना–अरवल,,अंचल–अरवल,जिला–अरवल

भूदान यज्ञ दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 84 रा0भू0 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अचंल अधिकारी, करपी द्वारा दााता का नोटिस तामिला वापस कियां किया गया। अंचल अधिकारी करपी द्वारा भूदान दान पत्र से संबंधित भूमि करपी अंचल से संबंधित भूमि नहीं है, जिसे वापस किया गया। भूदान दान पत्र में थाना नं0 21 अंकित है जो अरवल अंचल से संबंधित है। भूदान दान पत्र के आलोक में वर्णित भूमि का जॉच अंचल अधिकारी अरवल द्वारा पत्रांक 877 दिनांक 30.07.2021 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कब्जाधारी को कार्यालय पत्रांक 537 रा0भू0 दिनांक 06.08. 2021 से अंचल अधिकारी अरवल के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा कार्यालय पत्रांक 971 दिनांक 03.09.2021 द्वारा नोटिस तामिला प्रतिवेदन वापस किया गया। भूदाता के तरफ से वाद में कोई उपस्थित नहीं हुए। वर्णित भूमि पर कब्जाधारी न्यायालय में उपस्थित हुए। कब्जाधारी द्वारा आपति आवेदन एवं खतीयान राजस्व रसीद का छायाप्रति दाखिल किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन तथा वाद में संलग्न काजगजातों का अवलोकन किया गया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का अंगुठा का निशान अंकित है। इद्वश मियॉ, गिरजा सिंह गवाह का नाम दर्ज है। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि खतीयान उपलब्ध नही है, भूदाता एवं खतीयान धारक का पता नहीं चलता है वर्णित भूमि पर वैकुण्ठ सिहं पिता–बखोरा सिंह ग्राम–मोहरी थान+जिला–अरवल वर्तमान में दखल कब्जा है। दानकर्ता के पता के अनुसार पता नही चलता है खेसरा के अनुसार खाता 68 खेसरा संख्या 322 रकवा 53 डी है। भूमि रैयति खाते की है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ आम गैरमजरूआ मालिक, मंदिर, मस्जिद, श्मशान,कब्रिस्तान,चिरारी आदि से मुक्त है।

कब्जाधारी वैकुण्ठ सिंह द्वारा लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि मौजा मुखदुमपुर कवीर थाना नं0 21 थाना+अंचल+जिला –अरवल में खाता संख्या 52 खेसरा संख्या 322 अंकित नहीं है। खेसरा संख्या 322 खाता संख्या 68 में वर्णित है, जिसमें 26 $\frac{1}{2}$ डी0 भूमि अपने फरीगैन से खानगी वॉटकर किया है जिसका दिनांक 167/4 वैकुण्ठ सिंह के नाम पर चल रहा है जिसका राजस्व रसीद 20/9–20 तक कटा हुआ है। खाता नं0 68 खेसरा संख्या 322 वैकुण्ठ सिंह के पूर्वज दमड़ी काली वो गोपी पिता–पिखारी गोप के नाम पर पुराना खतीयान में नाम दर्ज है। प्लॉट नं0

322 से गनौरी मियाँ को कोई सरोकार नहीं था और नहीं दखल कब्जा कभी रहा है, जिसे वाद खारीज किया जाये।

भूदान दान पत्र के माध्यम से दान पत्र में वर्णित भूमि खाता संख्या 52 खेसरा संख्या 322 मौजा मखमिलपुर तौजी नं0 342 थाना नं0 21 में दान दिया गया है, जो मौजा अंचल करपी से संबंधित है, लेकिन दान पत्र में थाना नं0 21 अरवल अंचल से संबंधित है। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि दान कर्त्ता के पता के अनुसार पता नहीं चलता है खेसरा के अनुसार खाता 68 खेसरा 322 रकवा 53 डी0 भूमि है जो बैकुण्ठ सिंह पिता–वखोरा सिंह ग्राम–मोकरी थाना+जिला–अरवल के दखल कब्जाा में है जिसपर मकान एवं धनहर है। कब्जाधारी बैकुण्ठ सिंह द्वारा खतीयान दाखिल किया गया है जो मौजा मखदुमपुर कवीर तौजी नं0 641/1 थाना नं0 21 दमड़ी काली वो गोपी पिता–धिरवारी गोप के नाम पर दर्ज है। खतीयान में खाता संख्या 68 खेसरा संख्या 322 रकवा 53 डी0 दर्ज है।बखोरा सिंह पिता–मलु सिंह के नाम से 2019–20 तक राजस्व रसीद निर्गत है।

अतः अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में वर्णित भूमि का संपुष्ट करना उचित नहीं होता है। भूदान दान पत्र को असंपुष्टि किया जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।